निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 82/2019 तारीख दायरा 11.10.2019

उनवान

अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई पुत्र पीरया उर्फ पीरया जाति मुसलमान निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद हाल श्रमिक बस्ती अटर का बाग तहसील बारां जिला बारां। –वादी

बनाम

1. अब्दुल रहमान पुत्र पीरया जाति मुसलमान,
2. फरीद मोहम्मद पुत्र पीरया जाति मुसलमान,
3. शमीम बानो पुत्री पीरया जाति मुसलमान,
4. शकीला बानो पुत्री पीरया जाति मुसलमान,
5. सद्धिक मोहम्मद पुत्र पीरया जाति मुसलमान, निवासीगण कुन्दनपुर तहसील सांगोद हाल श्रमिक बस्ती अटर का बाग तहसील बारां जिला बारां।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील वादी) दिनांक :– 09.04.2021

श्री नितेश अरविन्द (वकील प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 एक ही परिवार के हैं, वादी एवं

प्रतिवादीगण के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा में ख.न. 128 की 0.87 है., ख.न. 282 की 0.02 है., ख.न. 380 की 1.11 है., ख.न. 94 की 0.85 है. इस प्रकार कुल 4 किता की कुल 2.85 है. की आराजी स्थित है। वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 की पैतृक आराजी है, उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता पीरया जी की मृत्यु के बाद खोले गए इन्तकाल में वादी का नाम बुन्दू खां वल्द पीरया दर्ज कर दिया है, जबकि वादी का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, वादी के नाम इनकम टैक्स से जारी कार्ड में अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई वादी की पत्नि के नाम जारी भामाशाह कार्ड में अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई तथा वादी के आधार कार्ड में अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई दर्ज है। साथ ही वादी को अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई के नाम से ही जाना जाता है।

वादी के नाम जारी सभी दस्तावेजों में वादी का नाम अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई होने तथा ग्राम कुन्दनपुर की वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम बुन्दू खां दर्ज होने से वादी को आराजी का विकास कार्य करवाने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने तथा अन्य कार्यों में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पडता है। वादी आराजी व पहचान के दस्तावेजों में नाम अलग–अलग होने से आराजी का विकास कार्य भी नहीं करवा पा रहा है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई के स्थान पर बुन्दू खां दर्ज कर दिया है। इसलिए वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम बुन्दू खां के स्थान पर अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई दर्ज किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बुन्दू खां के स्थान पर अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई दर्ज करावे, इसलिए वादी माननीय न्यायालय में यह वाद पेश कर रहा है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं.1 ता 5 की ओर से वकील श्री नितेश अरविन्द द्वार वकालतनामा मय इकाबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 6 द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया अतः प्रतिवादी सं.6 का जवाब बंद किया जाता है। वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी डिक्री करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया है अतः पत्रावली में तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन

करने तथा बहस वकील वाद सुनने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम कुन्दनपुर पटवार हलका कुन्दनपुर तहसील सांगोद में खाता सं. 97 की ख.न. 128 की 0.87 है., ख.न. 282 की 0.02 है., ख.न. 380 की 1.11 है., ख.न. 94 की 0.85 है. इस प्रकार कुल 4 किता की कुल 2.85 है. में वादी के दर्ज नाम बुन्दू खां को दुरस्त कर अब्दुल शरीफ उर्फ बुन्दू भाई दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested